समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण कमांकः निग -2137-I/2016-16

आवेदक : नत्थूलाल आत्मज श्री रामप्रसाद यादव उम्र 48 वर्ष, निवासी– ग्राम झिंझरी तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण : 1. विमला बाई पुत्री स्व.श्री रामप्रसाद यादव उम्र 45 वर्ष, जोजे राजकुमार यादव, साकिन–पौनिया निवार तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

2. सकुन बाई पुत्री स्व.श्री रामप्रसाद यादव उम्र 40 वर्ष, साकिन–नदी पार राममनोहर लोहिया वार्ड, कटनी (म.प्र.)

3. शांति बाई पुत्री स्व.श्री रामप्रसाद यादव आयु लगभग 38 वर्ष, साकिन– कूड़ो तह. कटनी जिला कटनी म.प्र. द्वारा तीनों के मुख्त्यार रुचित शुक्ला आत्मज श्री राजेन्द्र शुक्ला उम्र लगभग 25 वर्ष, साकिन– अल्फर्टगंज बल्लभदास अग्रवाल वार्ड कटनी (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कटनी के अपील प्रकरण क.17/अ–27/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैः–

निगरानी के तथ्यः–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग0 2137-एक/16 जिला - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कटनी जिला कटनी प्रकरण क्रमांक 17/अ-27/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी मृतक रामप्रसाद द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा-178 (क) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का विभाजन आवेदक के नाम किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई। समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, परंतु कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई। अनावेदिकाओं द्वारा आवेदक के पक्ष में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा किए जाने हेतु सहमति दी गई, तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.11.07 द्वारा भूमि का बंटवारा मृतक रामप्रसाद के स्थान पर आवेदन नतथूलाल के नाम किए जाने के आदेश दिए। नायब इस आदेश के विरुद्ध 8 वर्ष उपरांत अनावेदिकाओं द्वारा दिनांक 15.09.2015 को अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष अपील पेश की गई। अपील के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने धारा-5 का आवेदन पर स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी अनावेदिकाओं को पूर्व से थी। उक्त प्रकरण में अनावेदिकाओं द्वारा	

XXIX(a)-BE

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा आवेदक के पक्ष में किए जाने की सहमति दी थी, इससे स्पष्ट होता है कि अनावेदकगणों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चल रहे प्रकरण की जानकारी थी तथा उक्त अनुसार ही राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम नामांतरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में विलम्ब माफी दिया जाना न्यायोचित नहीं माना गया। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत 2011 राजस्व निर्णय 310 पक्षकार दुर्गाप्रसाद विरद्ध घनश्याम बगैरह का पैरा 5 का हवाला दिया गया है। ऐसी स्थित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील 8 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई शपथ-पत्र तदाशय का प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में विधि के प्रावधानों के अनुसार विलंब क्षमा नहीं किया जा सकता। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत 2010 राजस्व निर्णय 140 पक्षकार चैन सिंह विरुद्ध म.प्र. के पैरा 4.1 तथा 4.2 का हवाला देते हुए आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सहमति से हुए विभाजन के आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2006 राजस्व निर्णय 43 के पैरा 6 का हवाला दिया गया है, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि एवं न्यायदृष्टांतों के विपरीत जाते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ् न्यायालय में प्रचलनशीलता के संबंध में भी आपत्ति की थी जिस पर कोई विचार या निष्कर्ष निकाले बिना अपील को समयावधि में मान्य करने में त्रुटि की गई है ।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग0 2137-एक/16 जिला - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदिकाओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 8 वर्ष उपरांत अपील पेश की गई है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रकरण की प्रचलनशीलता एवं अवधि विधान के बिंदु पर जो तर्क दिए गए हैं, उन पर कोई विचार न करते हुए संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में विलंब के संबंध में वैधानिक आधारों पर बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन तथा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्षों को पुन: सुनवाई का अवसर देकर बोलता हुआ आदेश पारित करें । **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	